

बिहार सरकार  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय  
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०-अ०सा०नि०/स्था०17-14/2019/231/पटना, दिनांक:- 04/08/23

**कार्यालय आदेश**

श्री राजेश कुमार रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, धोरैया प्रखंड, बाँका संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, अरियरी प्रखंड, शेखपुरा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक-172 दिनांक-09.03.2020 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०-51 सहपठित ज्ञापांक-481 दिनांक-26.03.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत श्री राजेश कुमार रजक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), बाँका को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बाँका को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री राजेश कुमार रजक के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र में प्रखंड -धोरैया में स्थित वर्षामापी यंत्र का निरीक्षण प्रतिवेदन माँगे जाने पर साठ दिनों तक प्रतिवेदन जमा नहीं किये जाने, प्रतिदिन वर्षापात का प्रतिवेदन जिला वेबसाइट एवं [Serorg.cloudapp.net/Rainfall App](http://Serorg.cloudapp.net/Rainfall App) पर नहीं किये जाने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर, 2019 में लगातार माह में जिला सांख्यिकी कार्यालय में जिला स्तरीय विभागीय मासिक बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने जिससे धोरैया प्रखंड का विभागीय समीक्षा नहीं किये जाने एवं धोरैया प्रखंड का किसी प्रकार का प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को नहीं भेजे जाने, धोरैया प्रखंड अंतर्गत फसल कटनी प्रयोग कृषि वर्ष 2018-19 के फसल राई-सरसों, चना, अरहर, मसूर, ईख फसल कटनी प्रयोग का विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन बहुत विलंब से प्राप्त कराने के कारण निदेशालय द्वारा टिप्पणी की गई कि प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने के उपरांत प्राप्त हुआ है, जो इनके विभागीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता का घोटक है, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के स्तर से पूछे गये अनेकों स्पष्टीकरण का जबाव उपस्थापित नहीं किये जाने, प्रत्येक माह जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन के संबंध में धोरैया PHC का निरीक्षण वर्ष, 2019 जनवरी से दिसंबर तक निरीक्षण नहीं किये जाने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त रहने, आदान सर्वेक्षण 2016-17 का प्रतिवेदन अप्राप्त रहने, वर्ष 2019-20 अगहनी धान फसल कटनी का APP के द्वारा फसल कटनी का आँकड़ा फसल कटनी समाप्ति के उपरान्त भी अपलोड नहीं किये जाने, छठी लघु सिंचाई गणना का धोरैया प्रखंड अंतर्गत प्रगति शून्य रहने, प्रखंड स्तर पर सातवीं आर्थिक गणना का एस०एल०-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने पर भी धोरैया प्रखंड का प्रगति शून्य रहने संबंधी आरोप लगाये गये हैं।

3. अपर समाहर्ता, बाँका के पत्रांक-4187/रा० दिनांक-22.10.2022 द्वारा श्री राजेश कुमार रजक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन-सह-जाँच